उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–6
सं0–324/38–6–13–25एसजीएसवाई/12टीसी
लखनऊः दिनांक :13 मार्च, 2013

कार्यालय–ज्ञाप

शुद्धि–पत्र

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–888/38–6–12–32एसजीएसवाई/2010, दिनांक– 20–09–2012 द्वारा अस्थाई रूप से सृजित थीमैटिक एक्सपर्ट्स के पदों पर चयन हेतु गठित सात सदस्यीय उच्च स्तरीय चयन समिति के गठन विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या–50/38–6–13–25एसजीएसवाई/12टीसी दिनांक 21.01.2013 के प्रस्तर–2 में अंकित अंश **''समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन कर संस्तुति सहित सूची शासन को अनुमोदन हेतु उपलब्ध करायी जाएगी''** राज्य आजीविका मिशन के मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन में गवर्निंग बाडी के अधिकार/कर्तव्य प्रस्तर **'8–ई–पी'** के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किया जाता है।

2– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–50/38–6–13–25एसजीएसवाई/12टीसी दिनांक 21.01.2013 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या– 324 (1)/38–6–2013, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
2– मुख्य सचिव, उ0प्र0।
3– सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
5– निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6– समिति के समस्त पदाधिकारीगण।
7– स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
8– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
9– मिशन निदेशक/अपर आयुक्त, एसआरएलएम, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
10–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मी कान्त शुक्ल)
विशेष सचिव।